1:– प्रेमबाई पुत्री बालूलाल [illegible]

2:– सुगनाबाई पुत्री बालूलाल धाकड निवासी रायती हा.मु.पा[illegible] ....प्रार्थी

तह0 बेगूँ

– बनाम –

1:– बालूलाल पुत्र प्यारा उर्फ धूला धाकड निवासी रायती तह0 बेंगू ....विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0का0अधि0

प्रार्थीया की ओर से एक वाद पत्र न्यायालय अ0धा0 88–188–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधिवक्ता श्री विजयप्रकाश शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया जिसके साथ यह प्रार्थना पत्र अ0धा0 212 राज0काश्त0 अधि0 का प्रस्तुत करते हुए निवेदन इस प्रकार से किया कि मौजा रायती प0ह0 रायती में निम्न कृषि आराजीयात प्रार्थीगण एवं विपक्षी की पैत्रिक स्वामित्व एवं आधिपत्य की है जो वर्तमान में विपक्षी के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है जिसका खाता संख्या 55 में अंकित आराजी संख्या 118, 120, 1584/144,1585/82,1586/82, 1587/86, 166,167 ,325मी. 326मी. 344, 661, 74, 789,87 कुल किता–15 कुल रकबा 2.9120 हैक्टर उपरोक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी संख्या 1 का 1/4 व प्रार्थी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा निहित है । वर्णित कृषि आराजीयात संयुक्त हिन्दु परिवार अविभाजित सम्पति है, जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से ही हक अधिकार हैं। एवं प्रार्थीगण अपने निहित हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध है।

यह कि विपक्षी उक्त आराजीयात पर कुछ आवारा शराबी व्यक्तियों के साथ कृषि आराजीयात पर आया तथा दिनांक 01.06.2022 को उक्त आराजीयात को विक्रय करने की बात कर रहा था, इस पर प्रार्थीगण ने उन्हें मना किया तो विपक्षी नहीं माना एवं प्रार्थीगण को धमकी दी कि मै उक्त वर्णित सम्पूर्ण भूमि को खुर्द बुर्द करूंगा व तुम लोगो के लिए कोई भूमि शेष नहीं रखूगा जबकि विपक्षी को कानूनन उक्त सम्पूर्ण भूमि को विक्रय करने का कोई हक अधिकार नहीं है। इसलिए विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है।

विपक्षी द्वारा उक्त वर्णित पैत्रिक कृषि आराजीयात को किसी अन्य को विक्रय कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन संभव नहीं है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह वाद पत्र के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र वर्णित मौजा रायती प0ह0 रायती के खाता संख्या 55 में अंकित आराजी संख्या 118, 120, 1584/144, 1585/82,1586/82, 1587/86, 166,167 ,325मी. 326मी. 344, 661, 74, 789,87, कुल किता–15 कुल रकबा 2.9120 हैक्टर भूमि में प्रार्थीगण के निहित हक हिस्से की भूमि को किसी भी प्रकार से किसी भी अन्य को रहन दान, विक्रय आदि से हस्तान्तरित नहीं करें व न करावें । एवं प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि के काश्त कार्य में किसी प्रकार का दखलन्दाजी नहीं करें न करावें।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया, प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन करते हुए अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस प्रार्थना पत्र अनुसार करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा विपक्षी के विरूद्ध जारी किये जाने का निवेदन किया गया। हमारे द्वारा अधिवक्ता प्रार्थीगण की एक तरफा ब[illegible]क सुना तथा पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेजो का अवलोकन हमारे [illegible] मा[illegible] प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। विपक्षी को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आ[illegible] तारीख तक प[illegible] किया जाना उचित समझा था।

अतः विपक्षी को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख 12.07.2022 तक पाबन्द किया गया था कि वह मौजा रा[illegible] प0ह0 रायती खाता [illegible] 55 में अंकित आराजी संख्या 118, 120, 1584/144, 1585/82,1586/82, 1587/86, 16[illegible] 325मी. 326मी. 344, 661, 74, 789,87, कुल किता–15 कुल रकबा 2.9120 हैक्टर भूमि को किसी अन्य को विक्रय

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 16:14:16 IST
Reason: SelfAttested

...बुर्द बुर्द नहीं करें। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार दखलन्दाजी उत्पन्न नहीं करने ...आदेश दिया गया था। जिसके पश्चात विपक्षी की ओर से वकील श्री अशोक शर्मा ने अपना ...ाब प्रार्थना पत्र पेश कर इस प्रकार से निवेदन किया है कि उक्त संपत्ती पैत्रक संपत्ती नहीं है ...मस्त कृषि भूमि जो पूर्व में बंजर होकर काफी उबड खाबड थी जिसे विपक्षी ने अपनी निजी आय से काश्त काबिल किया। जिसका खर्चा लगभग 20 लाख रूपया आया । विपक्षी द्वारा प्रार्थीगण को कभी कोई धमकी नहीं दी गई है प्रार्थीगण विपक्षी की पुत्रिया है जिसकी शिक्षा दिक्षा विपक्षी ने ही कराई है विपक्षी लगभग 75 वर्ष का होने से परिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं हो सकने के कारण कृषि भूमि की देखरेख नहीं हो सकने से विपक्षी ने उक्त भूमि को वाद की जानकारी से पूर्व दान कर दिया है इस कारण से भी विपक्षी पर उक्त वादपत्र चलने योग्य नहीं है। प्रर्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किये जाने के पश्चात उभय पक्ष की बहस सुनी गई वकील प्रार्थी ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र के अनुसार करते हुए निवेदन किया है कि उक्त आराजीयात प्रार्थीगण व विपक्षी की पैत्रक है जिसमें प्रार्थीगण का 1/4 हक हिस्सा निहित है जिसपर काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण के निहित हक हिस्से की भूमि को किसी प्रकार से अन्य को रहन दान विक्रय आदी से हस्तान्तरित नहीं करें। प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि पर दखलअंदाजी नहीं करें। वकील प्रार्थी की बहस पूर्ण होने पर वकील विपक्षी ने अपनी जवाबी बहस मे इस प्रकार से निवेदन किया है कि प्रार्थीगण विपक्षी की पुत्रिया है जिनको विपक्षी ने ही लालन पालन कर शिक्षा दीक्षा करवाई है प्रार्थीगण ने विपक्ष से रंजिश रखने वाले लोगों के बहकावे में आकर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। विपक्षी की उम्र लगभग 75 वर्ष की हो गई है जिससे परिवारिक जिम्मेदारी का निर्वाहन नही हो सकने के कारण उक्त भूमि को वाद पत्र इस न्यायालय में पेश करने से पुर्व पंजिकृत दान विलेख से दान कर दिया था जिसकी छाया प्रति पेश कर रहा हू। उक्त आराजीयात मेरे द्वारा पंजीकृत दान विलेख से दान कर दी गई है जिससे उक्त आराजीयात में मेरा कोई हक हिस्सा निहित होने से प्रार्थीगण मुझ विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही करा सकते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खरिज किया जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुने जाने एवं दस्तावेजो का अवलोकन करने के पश्चात वकील विपक्षी की बहस एवं प्रस्तुत पंजिकृत दान विलेख दस्तावेज जो ओमप्रकाश पिता नाना लाल धाकड़ निवासी रायती को दिनांक 17.06.2022 को पंजिकृत दान से दान कर दिया गया है उक्त आराजीयात मौजा रायती की आराजी संख्या 118, 120, 1584/144, 1585/82,1586/82, 1587/86, 166,167 ,325मी. 326मी. 344, 661, 74, 789,87, कुल किता–15 कुल रकबा 2.9120 हैक्टर भूमि में विपक्षी का 1/2 हिस्सा पंजिकृत विलेख से दान कर दिया गया है ऐसी स्थिती में विपक्षी का उक्त आराजीयात में कोई हक हिस्सा निहित नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट का एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 04.08.2023 को खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 16:14:16 IST
Reason: SelfAttested

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
सहायक कलक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़